दून विश्वविद्यालय, देहरादून

कुलसचिव कार्यालय

पत्रांक 834 /डी.यू./2026 दिनांक 01 जनवरी, 2026

कार्यालय आदेश

विषय–प्रतिभूति राशि (Caution Money) एवं मैस रिबेट की वापसी हेतु समय–सीमा का निर्धारण

सभी सम्बन्धित छात्र छात्राओं को सूचित किया है कि दून विश्वविद्यालय की 24वीं वित्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णय व तत्क्रम में कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त, समस्त उत्तीर्ण एवं वर्तमान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की प्रतिभूति राशि (Caution Money) एवं मैस रिबेट के भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित समय सीमा एवं नियम निर्धारित किये गये हैः–

शैक्षणिक वर्ष 2025 तक एवं उससे पूर्व उत्तीर्ण हुये छात्र छात्राओं हेतु :–

1. ऐसे सभी छात्र छात्रायें जिन्होंने जून, 2025 या उससे पहले अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया गया हो, वे अपनी प्रतिभूति राशि (Caution Money) एवं मैस रिबेट का दावा 31 दिसम्बर, 2026 तक कर सकते हैं।
2. दिसम्बर, 2026 के उपरान्त, जो धनराशि Unclaimed (दावा नही की गयी) रह जायेगी, उसे अधिकारिक रूप से एल्युमिनी प्रकोष्ठ (Alumni cell) के खाते में छात्र हित में उपयोग हेतु स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

सत्र 2025–26 एवं उसके बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों हेतु :–

1. सत्र 2025–26 एवं उसके बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्र–छात्राओं को उनका पाठ्यक्रम पूर्ण होने एवं आधिकारिक रूप से उत्तीर्ण होने के 01 वर्ष के अन्तर्गत प्रतिभूति राशि (Caution Money) वापसी हेतु विश्वविद्यालय में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) संलग्न करना अनिवार्य है।

निर्धारित 01 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उपरोक्तानुसार सभी छात्र छात्राओं की कॉशन मनी एवं मैस रिबेट धनराशि के भुगतान सम्बन्धी किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा दावा नही की गयी (Unclaimed) धनराशि को अधिकारिक रूप से एल्युमिनी प्रकोष्ठ (Alumni cell) के खाते में छात्र हित में उपयोग हेतु स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

(दुर्गेश डिमरी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
2. वित्त नियन्त्रक एवं सहायक कुलसचिव, वित्त।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष।
4. चीफ वार्डन एवं हॉस्टल वार्डन।
5. आई.सी.टी. विभाग को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

(दुर्गेश डिमरी)
कुलसचिव